<u>न्यायालय लघुवाद न्यायाधीश/मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, फैजाबाद।</u>

उपस्थितः— श्रीमती श्रद्वा तिवारी (उ0प्र0 न्यायिक सेवा)
दाण्डिक वाद संख्या—67/2018
सरकार बनाम सचिन आदि
मु0अ0स0/एन.सी.आर.—119/2010
धारा—323,504,भा.दं.सं.
थाना—कोतवाली नगर
जिला फैजाबाद।

<u>निर्णय</u>

अभियुक्तगण सचिन सोनकर व कन्हैया के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर जिला फैजाबाद की पुलिस द्वारा अपराध संख्या/एन0सी0आर0 संख्या—119/2010 अर्न्तगत धारा—323,504,भा.दं.सं. आरोपपत्र विचारण हेतु प्रेषित किया गया।

संक्षेप में अभियोजन कथन इस प्रकार है कि प्रार्थी गरीब व्यक्ति है और रिफियूजी मार्केट में धर्मशाला खत्री के दुकान पर नौकरी करता है, तथा विपक्षी की दुकान इसी रिफियूजी मार्केट में जनरल स्टोर की है, दिनांक—07.07.2010को समय शाम करीब 8.30बजे अपने दुकान के लिये पानी अभियुक्त की दुकान के बगल हैण्डपाइप पर गया था कि विपक्षी सचिन ने प्रार्थी को भद्दी—भद्दी गालिया देने लगे प्रार्थी के विरोध करने पर प्रार्थी को विपक्षीगण लात मूका थप्पड से मारा पीटा प्रार्थी किसी तरह जान बचाकर अपने दुकान पर पहुॅचा तब सारी बात अपने मालिक को बतायी विपक्षीगण एक राय होकर फिर दुकान पर पहुॅच कर प्रार्थी को थप्पड व लाल से बुरी तरह मारने पीटने लगे जिससे प्रार्थी के शरीर पर काफी चोटे आयी प्रार्थी के गोहार पर तमाम लोग आ गये और जिन्होने देखा और बीच बचाव किया।

वादी मुकदमा जगदीश सिंह के उक्त आशय के प्रार्थनापत्र 155—2 दं.प्र.सं. पर न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार सम्बन्धित थाने पर मुकदमा अपराध संख्या/एन.सी.आर. संख्या—119/2010अन्तर्गत—323,504,भा.दं.सं. पंजीकृत होकर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

दौरान विवेचना विवेचक द्वारा मौके का नक्शा नजरी बनाया गया। अभियोजन साक्षियों के बयान अर्न्तगत धारा 161 दं.प्र.सं. अंकित किये गये तदोपरान्त प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए अभियुक्तगण उपरोक्त के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या/एन.सी.आर. संख्या—119/2010अन्तर्गत धारा—323,504भा.दं.सं. आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।

अभियुक्तगण को न्यायालय द्वारा तलब किया गया वह न्यायालय में उपस्थित आये तथा अपनी जमानत करायी।

अभियुक्तगण को अभियोजन प्रपत्रों की प्रतियां अर्न्तगत धारा 207 द.प्र.सं. प्रदान की गईं तथा उसके विरूद्ध दिनांक—23.5.2012 को बयान मुल्जिम बनाया गया । अभियुक्तगण ने बनाये गये बयान मुल्जिम में मुकदमा गलत व रजिशन चलना बताया तथा विचारण की याचना की।

अभियोजन द्वारा साक्षी पी.डब्लू.1 वादी मुकदमा जगदीश सिंह को परीक्षित

कराया गया। अन्य किसी भी साक्षी को परीक्षित नही कराया गया।

अभियोजन प्रपत्रों की औपचारिक प्रमाणिकता अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा स्वीकार की गयी जिसपर नियमानुसार प्रदर्श अंकित किये गये

तत्पश्चात शेष अभियोजन साक्षियों को अभियोजन के आग्रह पर साक्ष्य से उन्मोचित किया गया।

अभियुक्तगण का बयान अर्न्तगत धारा 313 द.प्र.सं. अंकित किया गया जिसमें अभियुक्तगण ने रंजिशन मुकदमा चलाया जाना कहा तथा सफाई में साक्ष्य देने से इन्कार किया।

मैने बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक अभियोजन अधिकरी को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी0डब्लू0–1 वादी मुकदमा जगदीश सिंह ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा यह कथन किया है कि आज अपने अधिवक्ता चन्द्र प्रकाश के साथ न्यायालय में गवाही देने आया हूॅ। घटना हुए लगभग 7 साल 9–10 महीने हो रहे है, 8.30 बजे शाम का समय था, मै चौक बाजार में स्थित रिफियूजी मार्केट में नौकरी करता था,जब दुकान के लिये पानी लेने गया था तो मुल्जिम संचिन व कन्हैया जिनकी वही पर दुकान है पानी विवाद को लेकर मारे पीटे गाली गलौज दिये जिससे मुझे चोटे आयी चोटो की डाक्टरी हुई थी, थाने पर नकल तहरीर देकर मुकदमा लिखाया जो एन.सी.आर. के रूप में दर्ज हुआ एन.सी.आर. की छाया प्रति संलग्न है जिनकी गवाह ने पुष्टि किया जिसपर प्रदर्श क–1 डाला गया तााि विवेचना हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय में दिया जिसपर विवेचना का आदेश हुआ जिसपर प्रदर्श क–2 डाला गया दरोगा जी ने मेरा बयान लिया था।परन्तु जब इस साक्षी से जिरह की गयी तो दौरान जिरह इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में दिये गये बयान एवं अभियोजन कथानक के विपरीत यह साक्ष्य प्रस्तुत किया कि इस घटना से पहले मेरी कोई दुश्मनी अभियुक्तो से नही थी, पानी के विवाद पर केवल कहा सुनी हुई थी, अभियुक्तो ने मुझे मारा पीटा नही था न ही गाली गुप्ता दिया था मौके पर काफी भीड इक्टठा हो गयी अभियुक्तो से मेरी सुलह समझौता हो गयी है अब कोई गवाह नही पेश करना है। पुनः जिरह मे कहा कि यह कहना गलत है कि सुलह समझौता हो जाने के कारण सही बात नही बता रहा है।

इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से अपने कथानक को साबित करने के लिय परीक्षित कराये गये प्रकरण के वादी मुकदमा जगदीश सिंह ने पहले तो अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया परन्तु इस साक्षी से जिरह की गयी तो दौरान जिरह इस साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में दिये गये बयान एवं अभियोजन कथानक को बिलकुल विपरीत कथन किया है कि मौके पर काफी भीड इक्टठा हो गयी थी,अभियुक्तो से पानी के बाबत कहा सुनी हुई थी न ही गाली गुप्ता दिया न ही लात मूका से मारा पीटा ही था, इस प्रकार उपरोक्त साक्षी ने अपने द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक को सदिंग्ध

बना दिया है। इसके अतिरिक्त अभियोजन द्वारा अन्य किसी ऐसे साक्षी को परीक्षित नही कराया गया है जो अभियोजन कथानक का समर्थन करता हो या घटना को साबित करता हो। अतः उपरोक्त साक्षी की साक्ष्य के आधार पर अभियोजन कथानक सन्देह से परे साबित नही होता है।

उपरोक्त विश्लेषणानुसार यह न्यायालय इस मत का है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध अन्तर्गत धारा–323,504 भा0द0स0 युक्ति–युक्त संदेह से परे सिंद्व होना नही पाया जाता है। तथा अभियुक्तगण सन्देह का लाभ पाते हुए दोष मुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण सचिन व कन्हैया को एन.सी.आर. संख्या–119/2010 अन्तर्गत धारा–323,504 भा.द.स. के आरोप से दोष मुक्त किया जाता है। अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके जमानतनामे निरस्त किये जाते है तथा प्रतिभू–गण दायित्व से उन्मोचित किये जाते है।

अभियुक्त प्रत्येक द्वारा धारा–437ए द0प्र0स0 के अनुपालन में मु0 20,000/–रूपये की एक जमानत व इतनी धनराशि का व्यक्तिगत बन्धपत्र दाखिल किया जाय।

(श्रीमती श्रद्वा तिवारी)
दिनॉक–08.6.2018, लघुवाद न्यायाधीश/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,फैजाबाद।

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे हस्ताक्षरित ,दिनॉकित कर उद्घोषित किया गया।

(श्रीमती श्रद्वा तिवारी)
दिनॉक–08.6.2018, लघुवाद न्यायाधीश/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,फैजाबाद।